.दिशा-निर्देश

राज्य सरकार द्वारा प्रदान ऋण एवं अग्रिम:

सरकार निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ऋण तथा अग्रिम प्रदान करती है: - 1. नगर पालिकाओं, स्वायत्त निकायों आदि (कृषकों को अग्रिम सहित) को ऋण।

2. सरकारी कर्मचारियों को ऋण।

3. प्रतिदेय अग्रिम।

संस्वीकृत सभी ऋण भुगतानों के जांच हेतु एवं उनकी पुन: प्राप्ति तथा पुनर्भुगतान पर निगरानी रखने हेतु, उस उद्देश्य हेतु निर्धारित प्रपत्रों में ब्राडशीट/बड़ा चिट्ठा के अनुरक्षण हेतु, ऋण अनुभाग उत्तरदायी है। मूलधन या ब्याज, ऋण एवं अग्रिमों से संबंधित भुगतान में कोई भी चूक, ऋण अनुभाग द्वारा अनुरक्षित विस्तृत लेखा को विलंब किए बिना ऋण या अग्रिम को संस्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी को प्रतिवेदित/सूचित किया जाना चाहिए। यदि वह प्राधिकारी, ब्याज या मूलधन एवं व्याज की अतिदेय किश्तों पर किसी भी दंडात्मक ब्याज को लागू करें, तो उसके पुन:प्राप्ति की जांच/निगरानी का कर्तव्य/उत्तरदायित्व ऋण अनुभाग को होगा।